# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार मीणा, आर. ए. एस.**

वाद सं.– 236/2014 GCMS:- 2014/00216 दायरा दिनांक: 08.12.2014

अमीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

......वादी

**बनाम**

1. हेतराम पुत्र आसाराम जाति छिम्पा निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.... **प्रतिवादीगण**

**–:: निर्णय ::–** दिनांक :– 02/09/2020

**वाद पत्र अर्तगत धारा 88, 92क, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता वादी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,
3. राज पैरोकार, नायब तहसीलदार सूरतगढ़

पत्रावली प्रस्तुत हुई। संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत 2042 की खाता संख्या 8 में खसरा नम्बर 16 में 7.07 बीघा, 478/2 में 8.08 बीघा, 481 में 4.04 बीघा, 482/4 में 8.00 बीघा व 501 में 7.00 बीघा कुल 34.19 बीघा बारानी कृषि भूमि वादी अमीलाल पुत्र ख्यालीराम कौम जाट साकिन देह के नाम से एक साला आवंटन अंकित हैं। इस कृषि भूमि पर वादी का आंवटन की दिनांक से मौका पर पटवारी हल्का द्वारा दिये गये कब्जानुसार निरन्तर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वादी के नाम से उक्त मद संख्या 1 में अंकित रकबा की राजस्व रकम राजकीय कोष में जमा करवाई जाती आ रही हैं और इस भूमि का नवीनीकरण भी वादी के नाम से ही होता चला आ रहा हैं। सन् 2005 में वरबक्त सैटलमेन्ट ग्राम किशनपुरा की रोही में स्थित रकबा चकबन्दी द्वारा मुरब्बा नम्बर, पत्थर नम्बर के किला नम्बरों में फिट किया जा चुका हैं जो कि वर्तमान में लागू की जा चुकी हैं। वादी के नाम से रिकार्ड में अंकित रकबा चकबन्दी में पैमूद कर दिये जाने से वादी गैर खातेदार कृषक की परिभाषा में आता हैं जो कि माननीय के समक्ष अपना वाद पत्र प्रस्तुत करने का विधिक रूप से अधिकारी हैं। ... नाम से वाद पत्र की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:34:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

मद संख्या 2 में अंकित रकबा की खसरा संख्या 478/2 में 8.08 बीघा रकबा चक 2 केएसपीएम के मुरब्बा नम्बर 33 के पत्थर नम्बर 10/46 के किला नम्बर 16/1.00, 17/1.00, 24/1.00, 25/1.00 और मुरब्बा नम्बर 34 के पत्थर नम्बर 10/54 के किला नम्बर 21/1.00, 22/1.00, 23/1.00 व मुरब्बा नम्बर 52 के पत्थर नम्बर 10/47 के किला नम्बर 5/1.00 बीघा कुल 8.00 बीघा(6—17 बीघा कमाण्ड और 0.10 बीघा अनकमाण्ड व 0.13 खाला) में फिट करते हुए पर्चा खतौनी भू—प्रबन्ध विभाग के द्वारा जारी की दी गई है। वादी के वाद पत्र की मद संख्या 6 में अंकित रोही किशनपुरा के खसरा नम्बर 478/2 के रकबा 8.08 बीघा का वर्तमान में सैटलमेन्ट द्वारा बनाये गये चक 2 केएसपीएम के मुरब्बा नम्बर 33 के पत्थर नम्बर 10/46 के किला नम्बर 24/1.00 बीघा, 25/1.00 बीघा = 2.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 34 के पत्थर नम्बर 10/54 के किला नम्बर 21/1.00 बीघा, 22/1.00 बीघा व 23/1.00 बीघा मुरब्बा न. 52 के पत्थर नम्बर 10/47 के किला नम्बर 5/1.00 बीघा एवं मुरब्बा न. 51 के पत्थर नम्बर 10/55 के किला नम्बर 1/1.00, 2/1.00 व 3/0.08(पश्चिमी पासा) = 2.08 बीघा कुल 8.08 बीघा पर वादी के नाम से कृषि भूमि आवंटन की दिनांक से पटवारी हल्का द्वारा कब्जा दिये जाने से लेकर आज तक मौका पर कब्जा काश्त शान्ति पूर्वक चला आ रहा हैं। जिसे वादी ने अपनी मेहनत मुश्कत से ट्रेक्टर से कराया लगाकर, टीलो की भूमि को समतल करके सुधारा और काबिल काश्त बनाया। वादी एक सीधा सादा केवल हस्ताक्षर करने का ही ज्ञान रखने वाला कृषक व्यक्ति हैं जिसे सैटलमेन्ट विभाग के द्वारा की गई वाद पत्र की मद संख्या 6 में अंकित फिटिंग के बारे मे कतई ज्ञान नहीं था। राजस्थान सरकार के कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर व राज. सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.11.1981 और दिनांक 28.10.1978 व 21.11.1981 के अनुसार मौका पर काबिज पुराने काश्तकारों को कब्जानुसार ही फिट किये जाने के पारित किये हुए हैं। लेकिन सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों के द्वारा इनकी जानबूझकर पालना नहीं की गई जो गलत व नियम विरूद्ध हैं। प्रतिवादी न.1 चालाक व्यक्ति हैं उसके द्वारा अपने नाम से ग्राम किशनपुरा की खसरा संख्या 477 में अपने नाम से अंकित 10.00 बीघा बारानी रकबा को बरवक्त सेटलमेन्ट सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके उक्त रकबा वर्तमान चक 2 केएसपीएम के मुरब्बा नम्बर 52 के पत्थर नम्बर 10/47 के किला नम्बर 6/1.00, 15/1.00 व मुरब्बा न. 51 के पत्थर नम्बर 10/55 के किला नम्बर 1/1.00, 2/1.00, 3/1.00, 8/1.00, 9/1.00, 10/1.00, 11/1.00, 12/1.00 = 8.00 बीघा कुल 10.00 बीघा कमाण्ड रकबा अपने नाम से फिट करवा लिया गया और पर्चा खतौनी भी अपने नाम से जारी करवा ली गई हैं। जबकि प्रतिवादी का उक्तवर्णित पत्थर 10/55 के किला नम्बर 1/1.00, 2/1.00 व 3/0.08 = 2.08 बीघा पर कब्जा मौका पर ना तो कभी रहा हैं और ना ही वर्तमान में हैं। इस पर वादी का ही कब्जा काश्त मौका पर आंवटन की दिनांक से चला आ रहा है। सैटलमेन्ट विभाग के द्वारा वादी के नाम से वाद पत्र की मद संख्या 6 में अंकित चक 2 केएसपीएम के पत्थर नम्बर 10/46, 10/54 व 10/47 में फिट किये गये रकबा में से पत्थर नम्बर 10/46 के किला नम्बर 16/1.00 व 17/1.00 बीघा = 2.00 बीघा [illegible] को अपने नाम से तर्क किये जाने और पत्थर नम्बर 10/55 के किला नम्बर 1/1.00, 2/1.00 व 3/

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:34:18 IST
Reason: SelfAttested

0.08(पश्चिमी पासा उतर –दक्षिण लम्बाई में)= 2.08 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तर्क किया जाकर इस 2.08 बीघा रकबा जिस पर वादी का कब्जा काश्त वर्षो से चला आ रहा हैं जिसका वादी अपने को गैर खातेदार कृषक घोषित करवाते हुए रिकार्ड में वादी अपने नाम से अंकन करवाना चाहता हैं जिसका वादी विधिक रूप से अधिकारी भी हैं। दिनांक 14.10.2014 को बमुकाम चक 2 केएसपीएम तहसील सूरतगढ़ में प्रतिवादी न. 1 के द्वारा वादी को उसके कब्जा काश्त में चले आ रहे वाद पत्र की मद संख्या 11 में अकित 2.08 बीघा रकबा पर कब्जा हटाने के लिए कहा और बताया कि यह रकबा उसके नाम से सैटलमेन्ट विभाग से करवाया हुआ हैं। यदि वादी ने इस रकबा का कब्जा मौका पर नहीं छोड़ा तो वह जबरदस्ती इस रकबा पर कब्जा कर लेगा। यदि प्रतिवादी के द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। इस पर वादी के द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष मुताबिक कब्जा रिकार्ड में सही अंकन किये जाने का निवेदन किये जाने पर उनके द्वारा पहले तो टाल मटोल की जाती रही और दिनांक 20.11.2014 को सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का कहा गया। बस यही से वाद कारण उत्पन्न होने पर वादी के द्वारा अपना यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वाद अनुतोष 1 ता 4 अनुसार डिक्री किया जावे।

वाद पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अभिभाषक हाजिर आये तथा अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रतिवादी के नाम से रोही किशनपुरा के खसरा नम्बर 330/3 में 10 बीघा, 367 में 15 बीघ व 477 में 10 बीघा कुल 35 बीघा बारानी दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार हैं जो चकबन्दी में फिट होने पर चक 2 के.एस. पी.एम. में पैमूद हो चुका हैं। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी के खसरा अलग अलग हैं। वादी द्वारा खसरा नम्बर 478/2 का रकबा चक 2 केएसपीएम के पत्थर नम्बर 10/55 मु.न. 51 के किला नम्बर 1, 2, 3 में फिट होना बताया हैं जो कि गलत व रिकार्ड के विपरीत होने से स्वीकार्य नहीं हैं। चक 2 केएसपीएम के पत्थर नम्बर 10/55 मु.न. 51 के किला नम्बर 1, 2, 3, 8 ता 12 का 8.00 बीघा रकबा रोही किशनपुरा के खसरा नम्बर 477 से बना हुआ हैं। खसरा नम्बर 477 वादी का नहीं हैं। खसरा नम्बर 477 का 10 बीघा रकबा मुझ प्रतिवादी न. 1 का हैं जो पर्चा खतौनी से साबित हैं। अतः वादी का वाद पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

वाद पत्र एवं जवाबदावा के आधार पर पत्रावली में तनकीयात भी कायम की गई तथा साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली मुर्करर की गई। परन्तु दिनांक 20.08.2019 को वादी अमीलाल व प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम ने अदालत में आकर अपना दोनो का राजीनामा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का आपस में राजीनामा हो चुका है इसलिए वाद पत्र को मुताबिक राजीनामा के डिक्री कर दिया जावे।

चूंकि दोनो पक्षकारो में आपस में राजीनामा हो चुका हैं इसलिए वाद पत्र को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:34:18 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता हैं तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 2 केएसपीएम के पत्थर नम्बर 10/54 का किला नम्बर 23 की 1.00 बीघा भूमि वादी अमीलाल पुत्र ख्यालीराम के नाम से कलमजन की जाकर प्रतिवादी न. 1 हेतराम पुत्र आसाराम जाति छिंपा निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के नाम से गैरखातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 2 केएसपीएम के पत्थर नम्बर 10/55 का किला नम्बर 1 की 1.00 बीघा भूमि प्रतिवादी हेतराम पुत्र आसाराम के नाम से कलमजन की जाकर वादी अमीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के नाम से गैर खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सूरतगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने की कार्यवाही करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक . 02/09/2020 . को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:34:18 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस. )

–: अनवान :–

अमीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

.....वादी

**बनाम**

1. हेतराम पुत्र आसाराम जाति छिम्पा निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92क, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 236 वर्ष 2014 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री राकेश कुमार मनचन्दा व वकील प्रतिवादी संख्या 1 श्री भागीरथ बिश्नोई व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता हैं तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 2 केएसपीएम के पत्थर नम्बर 10/54 का किला नम्बर 23 की 1.00 बीघा भूमि वादी अमीलाल पुत्र ख्यालीराम के नाम से कलमजन की जाकर प्रतिवादी न. 1 हेतराम पुत्र आसाराम जाति छिंपा निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के नाम से गैरखातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 2 केएसपीएम के पत्थर नम्बर 10/55 का किला नम्बर 1 की 1.00 बीघा भूमि प्रतिवादी हेतराम पुत्र आसाराम के नाम से कलमजन की जाकर वादी अमीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के नाम से गैर खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सूरतगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने की कार्यवाही करे।

नोज..... × ..... मुबलिग.....× ..... बाबत.....×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..... × ..... फस्दो की पालना ..... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 02/09/2020 . .को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:34:18 IST
Reason: SelfAttested